यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, चमोली के माह 03/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/01/2018 से 02/02/2018 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार शर्मा एवं श्री पी के मौर्या , सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 16/03/2015 से 21/03/2015 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2011 से 02/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप : बाढ़ सुरक्षा कार्य / नहरों का निर्माण तथा एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः चमोली, जोशीमठ , धार, पोखरी, कर्णप्रयाग ।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	संलग्न						
2015-16							
2016-17							

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	केन्द्रीय योजना	-	2536.26	2528.26	-
2015-16	केन्द्रीय योजना	-	781.00	781.00	-
2016-17	केन्द्रीय योजना	-	985.74	855.87	-
2017-18 (12/2017)	केन्द्रीय योजना	-	141.29	11.11	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, संचाई वभाग
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता
अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, चमोली को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 02/2015 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। जोशीमठ के अंतर्गत अलकनंदा नदी के बाए तट पर गो वंद घाटी की बाढ़ सुरक्षा योजना कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक .....N.A.... से ....N.A..... का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 12/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम शून्य

   भाग द् वतीय शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .....के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम : ₹ 186056.83/-

(ख) सामग्री क्रय : शून्य

(ग) नगद परिशोधन : शून्य

(घ) निक्षेप : 12236478.00/-

(ङ) भण्डार : 1221965.00/-

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- वत्तीय नियमों की अवहेलना करते हुये 1188.76 लाख के कार्यों का निष्पादन।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा भारत सरकार की योजना एस.पी.ए. (पुनर्निर्माण) के अंतर्गत जनपद चमोली के अंतर्गत गो वंदघाट में अलकनंदा नदीं के दाये तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य (पार्ट-1, पार्ट-2 एवं पार्ट-3 एवं गो वन्दघाट में पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु 1185.36 लाख की प्रा व धक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (जून 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी थी (मार्च 2015)। योजना के निष्पादन हेतु अ धशासी अ भयन्ता स्तप पर 05 अनुबंध (01/EE, 02/EE, 03/EE, 04/EE & 05/EE/2014-15 क्रमशः 244.14 लाख, 167.70 लाख, 244.84 लाख, 322.09 लाख एवं 188.63 लाख) कुल 1167.40 लाख हेतु गठित कए गए थे जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की अ धकतम ति थ सतम्बर 2014 थी। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा अ धशासी अ भयन्ता स्तर पर 04 अनुबंध (39/AE, 40/AE, 41/AE & 40/AE क्रमशः 4.97 लाख, 1.97 लाख, 4.95 लाख एवं 1.97 लाख) कुल 13.86 लाख हेतु गठित की गयी थी। इस प्रकार कुल 09 अनुबंध 1181.26 लाख हेतु गठित कए गए। अनुबंधों का अंति मकरण कुल व्यय 1188.76 लाख के साथ कया गया था।

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, गोपेश्वर के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2018) क खण्ड द्वारा Delegation of Power, उत्तराखण्ड नियमावली की अवहेलना करते हुये न केवल अ धशासी अ भयन्ता की अनुबंध बनाने की निर्धारित सीमा 7500000/- लाख से अ धक पर 244.14 लाख, 167.70 लाख, 244.84 लाख, 322.09 लाख एवं 188.63 लाख (कुल 1167.40 लाख) के 05 अनुबंध बनाए गए अ पतु वत्तीय स्वीकृति सीमा से अ धक 3.40 लाख अ धक 1188.76 व्यय के साथ कार्य पूर्ण कया गया। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा wirecrates के कार्य वस्तृत आगणन में प्रा वधानित मात्रा से 9081.04 cum अ धक मात्रा (लागत 129.04 लाख अ धक) में कराया गया था जिसकी variation स्वीकृति भी सक्षम अ धकारी से प्राप्त नहीं थी।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क उक्त अनुबंध गठित करने की सीमा जिला धकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा स्वीकृति की गयी थी जब क wirecrates के प्रा व धक स्वीकृति से अ धक उपयोग के संबंध में बताया गया क variation सक्षम अ धकारी द्वारा स्वीकृति कया गया है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यों क सीमा से अ धक धनरा श पर अनुबंध गठित कए जाने के आदेश पत्र में कोई उल्लेख नहीं कया गया था। इसके अतिरिक्त wirecrates के अ धक मात्रा में निष्पादन संबं धत सक्षम अ धकारी से स्वीकृत कोई साक्ष्य भी खण्ड द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

अतः उत्तराखण्ड Delegation of power एवं वत्तीय नियमों की अनदेखी करते हुये 1188.76 लाख के कार्य निष्पादन का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- अनावश्यक दायित्वों का सृजन 240.00 लाख।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय -3 नियम 30 (ख) एवं (ड) के अनुसार कार्य करवाने से पूर्व बजट की उपलब्धता हो, सक्षम अ धकारी से व्यय की संस्वीकृति हो तथा वत्तीय वर्ष के दौरान होने वाले व्ययों के लए सक्षम अ धकारी द्वारा धनरा श उपलब्ध करा दी हो।

संचाई खण्ड चमोली की लेखापरीक्षा (माह जनवरी 2018) में पाया गया क खण्ड द्वारा बजट आवंटन उपलब्ध न होने के बावजूद खण्ड द्वारा लगातार कार्य करवाये गये एवं 240.00 लाख के दायित्वों का सृजन कया गया।

ववरण निम्नानुसार थाः

क्रम सं.	योजना का नाम	सृजित देनदारिया
1.	वा र्षक अनुरक्षण	40.00 लाख
2.	नाबार्ड	200.00 लाख
	कुल	240.00 लाख

उपरोक्त देनदारिया ठेकेदारों द्वारा कए गए कार्यों के सापेक्ष उनके बिलों के भुगतान न हो पाने के कारण थी। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आख्या में स्वीकार कया गया क ठेकेदारों द्वारा कए गए कार्यों के सापेक्ष देनदारिया लम्बित है तथा शासन से धनावंटन का प्रयास कया जा रहा है।

अतः 240.00 लाख की देनदारिया सृजित करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
07/2004-05	1	-
77/2006-07	-	2
55/2008-09	-	3
69/2011-12	1	1
116/2014-15	1	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड चमोली तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) माप पुस्तिका सं. 280 (L), 152(L), 415(L), 433(L), 435(L), 445(L), 465(L), 503(L), 506(L), 516(L), 521(L), 523(L), 616(L), 628(L), 906(L)।

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री बहादुर संह यादव	अ धशासी अ भयन्ता	02/09/2014 से 19/07/2015 तक
(ii)	श्री उमेथ कुमार	अ धशासी अ भयन्ता	20/07/2015 से 21/07/2017 तक
(iii)	श्री जगदीश चंद	अ धशासी अ भयन्ता	03/08/2017 से 05/01/2018 तक
(iv)	श्री बहादुर संह यादव	अ धशासी अ भयन्ता	06/01/2018 से अब तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i)	श्री रघुबीर संह राणा	03/2015 से 08/08/2016 तक
(ii)	श्री अर वंद कुमार	08/2016 से 16/08/2017 तक
(iii)	श्री बलदेव संह	16/08/2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, चमोली को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन , कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II